5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 INDIA TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. /2018 अपील – 6237/2018/सागर/स्टांप अधि

1. श्रीमती रूकमणि पत्नी वीरेन्द्र सिंह चौरसिया निवासी तिली वार्ड सागर तह. व जिला सागर

2.अ श्रीमती विमला बाई पत्नी स्व. रामाप्रसाद चौरसिया

ब. शालिकराम पुत्र स्व. रामाप्रसाद चौरसिया

स. मनोज कुमार पुत्र स्व. रामाप्रसाद चौरसिया

द. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. रामाप्रसाद चौरसिया

क्र. अ ता द निवासीगण राजीव नगर तिली वार्ड सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

3. राजेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र भीकम सिंह ठाकुर निवसी वारछा तहसील व जिला सागर

द्वारा कारंदा आम बुन्देल सिंह ठाकुर पुत्र भीकम सिंह निवासी वारछा तहसील व जिला सागर

4. श्रीमती उर्मिला सिंह ठाकुर पुत्री भाईलाल सिंह ठाकुर निवासी परकोटा वार्ड सागर तहसील व जिला सागर

...... अपीलार्थीगण

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 2-11-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-11-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-11-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
02-11-18 एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टांप सागर (म.प्र.)

2. उप पंजीयक, सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र.कं. 717 अपील X 17–18 में पारित आदेश दिनांक 21.3.2018 के विरूद्ध स्टॉप अधिनियम 1899 की धारा 47–क(5) के अधीन द्वितीय अपील

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है –

1(क)	अपीलार्थीगण का पूरा नाम पिता का नाम या पति का नाम व्यवसाय तथा पता	:	उपर्युक्त उनमानानुसार अपीलार्थीगण
(ख)	लिखित के अधीन दावा करने वाले प्रतयेक व्यक्ति का पूरा नाम पिता का नाम या पति का नाम व्यवसाय तथा पता	:	उपर्युक्त उनमानानुसार अपीलार्थीगण
(ग)	लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार	:	21.4.2017 भूमि के विकास का अनुबंध
(घ)	रजिस्ट्रीकरण कमांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम जहां लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया था।	:	कार्यालय सागर जिला सागर द्वारा भूमि के विकास अनुबंध का पंजीयन नहीं किया गया।
(च)	तहसील तथा रजिस्ट्रीकरण उप जिलों के नाम सहित उस नगर या ग्राम का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है।	:	भूमि विकास अनुबंध में दर्शित सम्पत्ति मौजा कनेरादेव पटवारी हल्का नं. 63

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

अपील 6237/2018/सागर/स्टाम्प अधि0

श्रीमती रूकमणि आदि विरूद्ध म0प्र0शासन आदि

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं प्रत्यर्थी शासकीय अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। दोनों अभिभाषकों को आवेदक अभिभाषक की ओर से अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 सहपठित धारा 151 सिविल प्रोसीजन कोड के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 717/अपीली/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21–3–2018 के विरूद्ध स्टाम्प अधिनियम की धारा 1899 की धारा 47–क(5) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21–4–2014 को एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया जिसके पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर कलेक्टर आफ स्टाम्प ने कुल राशि रूपये 1780322/– कमी मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति अधिरोपित की। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को अपर आयुक्त सागर के समक्ष चुनौती दी गई जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 21–3–2018 से अपील निरस्त की गई। इस न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया गया है कि अब अपीलार्थीगण ने विचाराधीन भूमि विकास अनुबंध पत्र दिनांक	

(1)

21–4–2017 को सशर्त Withdrawal की अनुमति प्रदान करने एवं अपीलार्थी द्वारा पूर्व में जमा मुदांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि उन्हें वापस कर रिकवरी को समाप्त करने का आदेश कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को दिया जाये। प्रत्यर्थी शासकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का विरोध कर यह अनुरोध किया कि प्रकरण अंतिम स्टेज पर है और कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा नियमानुसार मुदांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क अधिरोपित किया है, अतः अपील निरस्त की जाये।

4/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा जो अनुरोध चाहा है वह अंतिम स्वरूप का आदेश होगा। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अनुबंध पत्र उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया था और उक्त दस्तावेज पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा मुदांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित कर जमा करने के आदेश दिये हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रचलित रहते अनुबंध निरस्त कर स्टाम्प वापसी का अनुरोध किया है जबकि यह अपीलार्थी की बाद की सोच को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस अपील प्रकरण में यह बिन्दु अपील में विचाराधीन नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस आवेदन पर कोई निर्णय दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। दर्शित परिस्थितियों आवेदन द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जाता है।

5/ जहां तक अपील का प्रश्न है कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम के अधीन बने नियमों के तहत कार्यवाही कर मुदांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क अधिरोपित किया है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित

(21

आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं होने से यह अपील निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 19/3/19
सदस्य

3/3